27.1.20 26 पत्रावली वादी मय अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र वास्ते प्रकरण पेशी तारीख 42 को जारी विड्रोल खारिज करने बाबत पर पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 02 मय वकील प्रतिवादी उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। अब कोई विवाद शेष नहीं है। इस कारण वादी का वाद विड्रोल खारिज किया जावे। प्रतिवादी वकील ने वाद खारिज करने पर अनापत्ति की गई। इसके उपरान्त उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गम्भीरता-पूर्वक अवलोकन किया। निष्कर्ष पाया कि वादी स्वयं वादपत्र आगे चलाना नहीं चाहता है, क्योंकि अब विवाद शेष नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को आगे चलाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण आज पेशी पर लिया जाकर वादी का वाद-पत्र इसी स्तर पर विड्रोल खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा.